झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

रॉची
3430 दिनांक :- 9.7.11

अधि0 सं0–1/स्था.–66/2006 ज.स.————————/ दिनांक 25.05.11 को सम्पन्न **विभागीय** स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची के **निम्नलिखित** अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (चालू प्रभार) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत् उनको अपने **हीं वेतनमा**न् में उनके नाम के सामने स्तम्भ–4 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करने हुए मुख्य **अभियंता** (असैनिक) (चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत **किया** जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री वानेश्वर रविदास (अ.जा.) 3164/30.04.53/रॉची	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जलपथ अंचल,हजारीबाग	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में पदस्थापन हेतु विभागीय मुख्यालय में।	
2	श्री हेमन्त कुमार (अ.जा.) 3482/21.01.60/गया	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) ग्रामीण विकास विभाग	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) लघु सिंचाई, दुमका	ग्रामीण विकास विभाग से सेवा वापस लेते हुए
3	श्री अशोक कुमार (अ.जा.) 3851/05.01.65/हजारीबाग	अधीक्षण अभियंता (चा0प्र.) सुवर्णरेखा बॉध अंचल, चांडिल	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, रॉची	
4	श्री सुरेन्द्र कुमार(अ.ज.जा.) 3893/20.02.64/	सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रॉची	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में सेवा नगर विकास विभाग को	

2. मुख्य अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो इन्हें पूर्व में देय है।

3. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत् मुख्य अभियंता (असैनिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें मुख्य अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होगें उन्हें अधीक्षण अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

4. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

5. मुख्य अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

6. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न हीं पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(चन्द्र भूषण सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक– 3430 राँची, दिनांक– 9.7.11

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी. सहित)राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक– 3430 राँची, दिनांक– 9.7.11

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखंड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि., राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख– I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/ब, 7/यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगें।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी इन स्थानान्तरित पदाधिकारियों का माह जुलाई 2011 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरूद्ध हीं करेगें।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)